



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102023-249489
CG-DL-E-18102023-249489

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4378]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 17, 2023/आश्विन 25 1945

No. 4378]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 17, 2023/ASVINA 25, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2023

का.आ. 4549(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से NH183 के 106.7 किमी. से 137 किमी. तक केरल राज्य के तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH183 पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	विशेष तहसीलदार एलए जनरल	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH183	केरल	कोट्टायम	कोट्टायम	1 कूरोपड़ा

	कोट्टयम	के कि.मी 106.7 से कि.मी 137 तक					2	पंपाडी
					चंगनासेरी		1	वायुर

[फा. सं. RW/TRI/TECH/MISC/155/2016-17]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th October, 2023

S.O. 4549(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 106.7 to 137 of NH183 in the State of KERALA.

SCHEDULE**Land acquisition on National Highway No. NH-183 in the State of KERALA**

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	SpecialTahsildar LA GeneralKottayam	NH183 KM 106.7 TO KM 137	KERALA	KOTTAYAM	Kottayam	1 kooropada 2 Pampady
					Changanassery	1 Vazhoor

[F. No. RW/TRI/TECH/MISC/155/2016-17]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.